

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व

करेड़ा

भू अभिलेख निरीक्षक

करेड़ा

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

लरामीलदार करेड़ा

की अनुशंभा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम करेड़ा

पटवार हल्का करेड़ा

तहसील करेड़ा

व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2075-78

में खाता संख्या 1584

में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के

आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	करेड़ा	1584	दुग्गल फूल काना	दुग्गल लाल फूल काना लाल

उपखण्ड अधिकारी प्रदेन
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 30/07/22

क्रमांक/न्यायालय /2022/2022/133

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री दुग्गल लाल फूल काना लाल

उपखण्ड अधिकारी प्रदेन
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

2022/325